न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल स्थित चन्दौसी।

आदेश सं0............../2023 दिनॉकित 24.11.2023

आदेश

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से विचार विमर्श के उपरान्त वादकारियों के हित को दृष्टिगत रखते हुये कार्य वितरण की निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है–

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल स्थित चन्दौसी।

1– **थाना कोतवाली चन्दौसी, बहजोई एवं कैलादेवी** का क्षेत्राधिकार परिवाद के अतिरिक्त से संबंधित होगा एवं **थाना सम्भल व नखासा** से संबंधित सत्र परीक्षणीय मामलों का बेल एवं रिमाण्ड, पुलिस चालानी आरोपपत्र दायरा, कमिटल आदि का कार्य होगा।

2– जनपद सम्भल स्थित समस्त थानो का धारा **302, 304बी, 304 एवं 396 भा0दं0सं0** से संबंधित बेल एवं रिमाण्ड, पुलिस चालानी आरोपपत्र दायरा, कमिटल आदि का सम्पूर्ण कार्य होगा।

3– जिला सम्भल से संबंधित बाल श्रम अधिनियम व अन्य बिशेष अधिनियम के अर्न्तगत संस्थित होने वाले अपराधिक वाद तथा सम्भल जिले के अर्न्तगत समस्त आर.टी.ओ. चालानी व दायरा का कार्य होगा।

4– जिला सम्भल में कार्यरत **सरकारी कर्मचारियों के विरूद्व विविध फौजदारी प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 156(3) दं0प्र0सं0** की सुनवाई का क्षेत्राधिकार होगा।

5– जिला सम्भल में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों के विरूद्व संस्थित होने वाले परिवादो की सुनवाई का क्षेत्राधिकार होगा।

न्यायालय सिविल जज(सी0डि0)/ए0सी0जे0एम0, सम्भल स्थित चन्दौसी।

1– **थाना बनियाठेर व हजरतनगर गढ़ी से संबंधित** का सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों से संबंधित बेल एवं रिमाण्ड, आरोपपत्र दायरा, कमिटल आदि एवं धारा 156(3) सीआरपीसी के प्रार्थनापत्रो की सुनवाई एवं दायरा का कार्य होगा।

2– थाना **बहजोई** से संबंधित परिवाद का दायरा एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार होगा।

3– **थाना रजपुरा** से संबंधित माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों से संबंधित बेल एवं रिमाण्ड, आरोपपत्र दायरा, कमिटल आदि एवं धारा 156(3) सीआरपीसी के प्रार्थनापत्रो की सुनवाई एवं दायरा का कार्य होगा।

न्यायालयसिविल जज(सी0डि0)/ए0सी0जे0एम0, चन्दौसी, सम्भल स्थित चन्दौसी।

1– थाना **धनारी व थाना जी0आर0पी0 चन्दौसी** का सम्पूर्ण कार्य होगा।

2– **थाना चन्दौसी** से संबंधित परिवाद का दायरा एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार होगा।

3– थाना **असमौली, गुन्नौर व जुनावई** से संबंधित सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों का बेल एवं रिमाण्ड, आरोपपत्र दायरा, कमिटल, प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 156(3) सीआर.पी. सी. का सम्पूर्ण कार्य होगा।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चन्दौसी, सम्भल स्थित चन्दौसी।

1– **थाना कुढ़फतेहगढ़ व महिला थाना बहजोई** से संबंधित सम्पूर्ण कार्य होगा।

2– **थाना एचौड़ा कम्बोह** से संबंधित सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों से संबंधित प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 156(3) सीआर.पी.सी., बेल एवं रिमाण्ड, आरोपपत्र दाखिला, कमिटल आदि का सम्पूर्ण कार्य होगा।

<u>न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल स्थित चन्दौसी।</u>

1–.महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित धारा 498ए,354 भा0दं0सं0 व धारा 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार बाह्य न्यायालय सम्भल एवं गुन्नौर को छोड़कर होगा।

2–घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार होगा।

3– **थाना कैला देवी** से संबंधित परिवाद मामलों का सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।

उपरोक्त वर्णित व्यवस्था में यदि किसी बिशेष अधिनियम के संबंध में विनिर्दिष्ट रूप से कोई आदेश पारित न हो, तो ऐसे मामलो की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल स्थित चन्दौसी को होगा।

इस आदेश का प्रभाव माननीय उच्च न्यायालय या किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी बिशेष मामलें की सुनवाई के संबंध में पारित आदेश पर लागू नहीं होगा।

यह आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन के पश्चात् ही लागू होगा।

(अर्चना सिंह–प्रथम),
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सम्भल स्थान चन्दौसी।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित–</u>

1– माननीय जनपद न्यायाधीश, महोदय सम्भल स्थित चन्दौसी।
2– माननीय जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल।
3– पुलिस अधीक्षक, सम्भल।
4– सिविल जज(सी0डि0)/ए0सी0जे0एम0, सम्भल स्थित चन्दौसी।
5– सिविल जज(सी0डि0)/ए0सी0जे0एम0, चन्दौसी, सम्भल स्थित चन्दौसी।
6– न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल स्थित चन्दौसी।
7– सिविल जज(जू0डि0)/जे0एम0, सम्भल स्थित चन्दौसी।
8– सिविल जज(जू0डि0)(फास्ट ट्रैक कोर्ट), सम्भल स्थित चन्दौसी।
9– वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, सम्भल।
10– समस्त बार संघ, जनपद सम्भल स्थित चन्दौसी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सम्भल स्थित चन्दौसी।